महत्वपूर्ण

संख्या-5/2017/477/सत्ताइस-10-17-8/2017

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) **प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक),**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 10 फरवरी, 2017

विषय- बैराजों, बांधों एवं रेगुलेटर गेट्स की जल यान्त्रिक प्रणालियों के निर्माण एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (यान्त्रिक) के पत्र संख्या-सी-21/ प्र0अ0(यां0)/कैम्प, दिनांक-10.02.2017 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत बैराजों, बांधों एवं रेगुलेटर गेट्स की जल यान्त्रिक प्रणालियों के निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

(1) जनपद बरेली एवं झाँसी में विभागीय सिंचाई कार्यशालाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा टूल्स एवं मशीन्स तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये उपकरण, विशेषज्ञ मानव शक्ति एवं तकनीकी एक्सपरटाइज के क्रम में बैराजों, बांधों एवं नहर पर स्थापित किये जाने वाले रेगुलेटर गेट्स सम्बन्धी जल यान्त्रिक प्रणालियों के निर्माण कार्य मात्र सिंचाई कार्यशाला खण्ड, बरेली एवं सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी से कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्टानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner

(2) पूर्व वर्षों में बैराजों, बांधों एवं रेगुलेटर गेट्स सम्बन्धी जो कार्य विभाग द्वारा वाह्य एजेन्सी से कराये जा रहे हैं, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मा[illegible] सिंचाई कार्यशाला मण्डल-1, कानपुर के अधीन विभिन्न खण्डों से कराया जाय।

(3) समस्त बैराजों, बांधों एवं रेगुलेटर गेट्स की जल यान्त्रिक प्रणालियों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य सिंचाई कार्यशाला मण्डल-1, कानपुर के अधीन कराया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल/यान्त्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता(सिविल/यान्त्रिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

बृजेन्द्र सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner

ईमेल द्वारा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांकः–सी– /प्र0अ0(परियोजना)/कैम्प/विविध, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर ,2018

विषयः– बैराजों, बांधों एवं रेगुलेटर गेट्स की जल यान्त्रिक प्रणालियों के निर्माण एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

कृपया उक्त विषयक सन्दर्भ में शासन के पत्र संख्या–5/2017/477/सत्ताइस-10-17-8/2017, दिनांक 10-02-2017 एवं पत्र संख्या–1555/18-27-सिं-4-120(डब्ल्यू)/2018, दिनांक 16-06-2018 का अवलोकन करें। बैराज एवं रेगुलेटर गेट्स की जल यॉत्रिक प्रणालियों के निर्माण एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से सम्पादन सुनिश्चित हो सके। साथ ही मरम्मत की कार्यवाही भी यथासमय आवश्यकतानुसार समय से सम्पादित करायी जा सके।

(पुण्य प्रताप पाण्डेय)
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

पत्रांक–सी– 690 /प्र0अ0(परि0)/तद्दिनांक– 21-12-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

1– प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2– मुख्य अभियन्ता (नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यशाला मण्डल प्रथम, कानपुर।

5–

(पुण्य प्रताप पाण्डेय)
प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)

Scanned with CamScanner